

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18012024-251441
SG-DL-E-18012024-251441असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2024/पौष 27, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 393
No. 26]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2024/PAUSHA 27, 1945	[N. C. T. D. No. 393

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जनवरी, 2024

फा0 सं0 1(761)/प्रशा0/डीएससीएसटी/2023/1192-99.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “मैट्रन-सह-स्टोरकीपर” के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को “मैट्रन-सह-स्टोरकीपर” भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि:- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :- वह व्यक्ति,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।**6. बचाव :-** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या किसी भी विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में
मैट्रन-सह-स्टोरकीपर के पद हेतु भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
मैट्रन-सह-स्टोरकीपर	04* (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह-‘ग’	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रुपये 25,500-81,100 / -)	लागू नहीं	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप 1:- आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होनी हो, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।	अनिवार्य:- (i) 10 + 2 (मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण) में उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। (ii) किसी स्टोर में खातों की देख-रेख करने तथा स्टोर संभालने के अनुभव सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाले बच्चों/विद्यार्थियों तथा वृद्ध लोगों/वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु समर्पित किसी पंजीकृत गैर सरकारी संगठन में 02 वर्षों का कार्य करने का अनुभव। टीप 1:- अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि (यदि कोई है)	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है
8.	9.	10.	11.
लागू नहीं	दो वर्ष सीधी भर्ती हेतु	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12.	13.
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य 3. उप-सचिव (शह0 वि0) — सदस्य टीप :- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अमित कुमार पमासी, उप-निदेशक (प्रशा.)

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC

NOTIFICATION

Delhi, the 15th January, 2024

F. 1(761)/Admn/DSCST/2023/1192-99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R. 840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of “Matron-cum-Storekeeper” in the Department for the Welfare of SC/ST/OBC, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement:-** i) These rules may be called “Matron-cum-Storekeeper” Recruitment Rules, 2023.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix-** The number of post, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached with these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in the columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications-** No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
Shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.
- Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman or any special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MATRON-CUM-STOREKEEPER IN THE DEPARTMENT
FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC, GOVT. OF NCT OF DELHI

NAME OF THE POST	NUMBER OF POSTS	CLASSIFICATION	LEVEL IN THE PAY MATRIX	WHETHER SELECTION POST OR NON-SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATIONS REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS
1	2	3	4	5	6	7
Matron-Cum-Storekeeper	04* (2023) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Non –Ministerial, Non Gazetted, Group- ‘C’	Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) in the Pay Matrix	Not applicable.	18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	Essential: Pass in 10+2 (Senior Secondary pass from recognized Board or equivalent). 02 years experience of working in any regd. NGO dedicated for Welfare of SC/ST Children/Students and old age people/Senior Citizens with experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITMENT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEEES	PERIOD OF PROBATION (IF ANY)	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION /ABSORPTION AND PRECENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION DEPUTATION/ ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE
8	9	10	11
Not Applicable	Two Years for direct recruits.	By Direct Recruitment.	Not applicable

IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
12	13
Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):- 1) Principal Secretary/Secretary (PWD) - Chairperson 2) Head of Department Concerned - Member 3) Dy. Secretary (UD) - Member Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
AMIT KUMAR PAMASI, Dy. Director (Admn.)